फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

डालचन्द बनाम विजयमान (कौरा)

म मुकदमा प्रा.पत्र 111-120 नं0 124 सन 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 8.9.20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
-9.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण 02 लगायत 07 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	प्रतिवादी सं० 1 की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ [signature] 8.9.20

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.18 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

ासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

ुकदमा संख्या – 124/20 प्रा.पत्र

श्री डालचन्द S/o श्री धन्नालाल रेगर निवासी नागोर हाल निवासी 55 ज्योति नगर, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (रा.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री विजयपाल S/o नंदलाल आर्य (होली) निवासी 6 A 23 बापुनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (रा.) [वगैरा] (प्रार्थना पत्र संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111--128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 08.09.20

::आदेश::

ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालपुरा........................पटवार हल्का पीथास..............तहसील माण्डल में उसके ्राते /संयुक्त खाते की आराजी न.139/11, 11/1, 11/2, 11/3.....कुल किता 03..............रकवा........03...... ीघा....08......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ाहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते ी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24-07-20.........को पंजीवद्व किया जाकर ्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से ्पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को ेखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालपुरा .... पटवार हल्का पीथास......................तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.139/11, 11/1, 11/2, 11/3..................कुल किता.........03.........................रकबा.....03...... बीघा...........08............बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीथास.................. 400/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.18 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner